

(12)

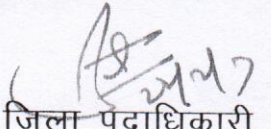
कार्यालय, जिला पदाधिकारी, गया के तहत रैखिक परियोजना निमार्ण
हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जयवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या..... 826/10 दिनांक 8.3.19

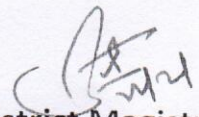
प्रमाणित किया जाता है कि गया जिला में अजय कुमार दिनकर द्वारा गया जिला अंतर्गत खाता सं०-632, खेसरा-410, 407, मौजा-फतेहपुर, थाना नं०-588, वजीरगंज-फतेहपुर पथ के किनारे एच०पी०सी०एल० का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन भूमि 0.03 हे० रकवा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पत्रांक 2307 दिनांक 12.05.18 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जॉचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।


जिला पदाधिकारी,
गया।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census- 2001 and the Census- 2011.


District Magistrate
Gaya.